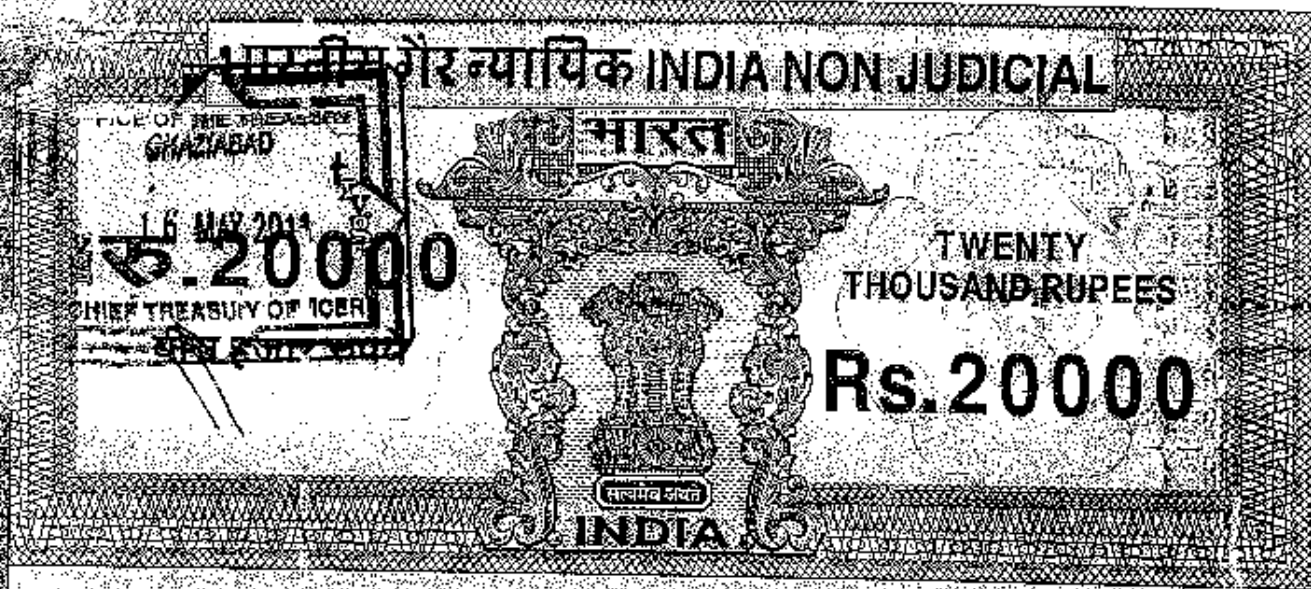




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823748

लेखपत्र का सक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना खसना
3. मौहल्ला/ग्राम - ग्राम शाहपुर ब्रह्मदा
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता संख्या 00889 के खसरा संख्या 237
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.2085 हेक्टेयर
7. खसरा की स्थिति (प्रतिशत के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
- 8- अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कानून इत्यादि) N.A.
9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
10. प्रतिफल की धनराशि 22,94,148/-रुपये
11. पैड कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नहीं है

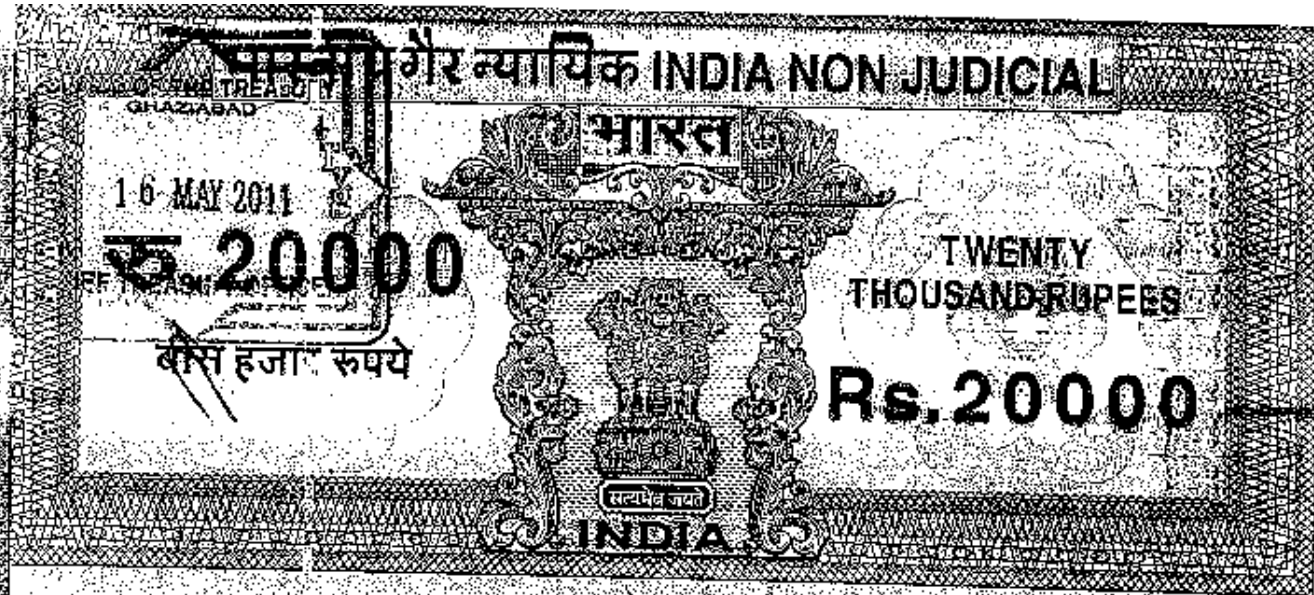
प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

[Handwritten Signature]

For Agri. Associates (Punjab) Ltd.

Authorized Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823747

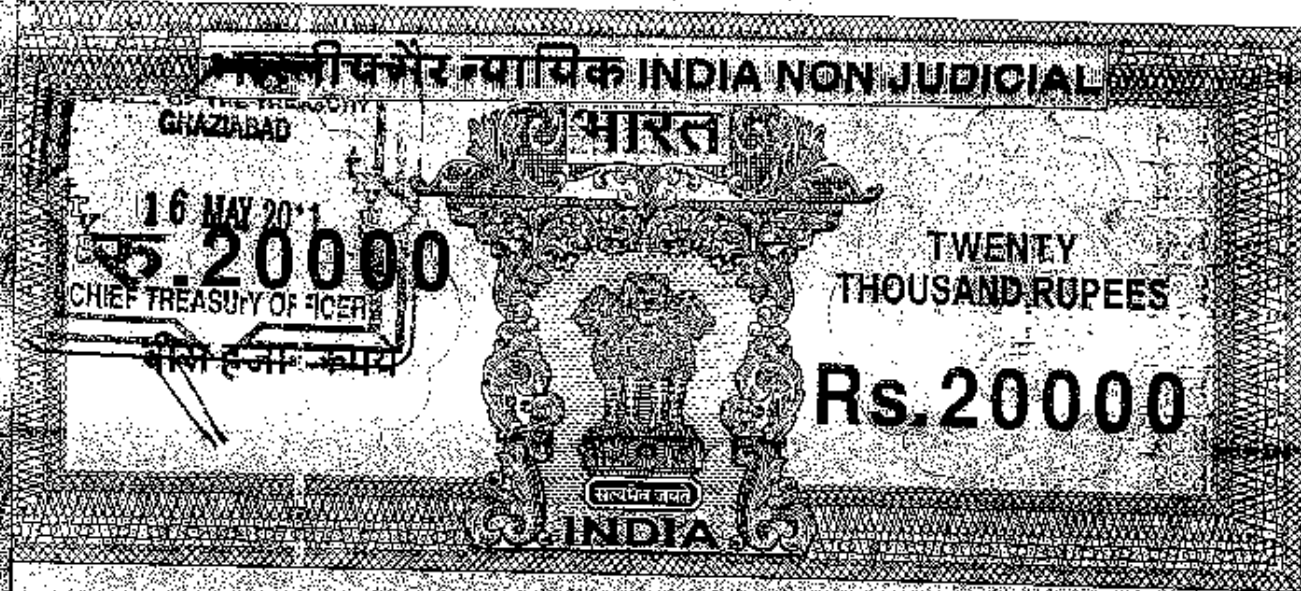
(2)

विक्रेता का विवरण:-

1. नाम : मैसर्स लिजेण्ड बिल्डकॉन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी
श्री बिजेन्द्र सिंह
पिता का नाम : श्री होशम सिंह
स्थायी पता : 81 न्यू आर्य नगर गाजियाबाद
पैन कार्ड न० : BCEPS8115B

For [Signature] (Proprietors) Ltd.

Authorized Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823746

(3)

क्रेता का विवरण:-

1. नाम : मै० अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि० द्वारा
श्री प्रहलाद सिंह चौधरी

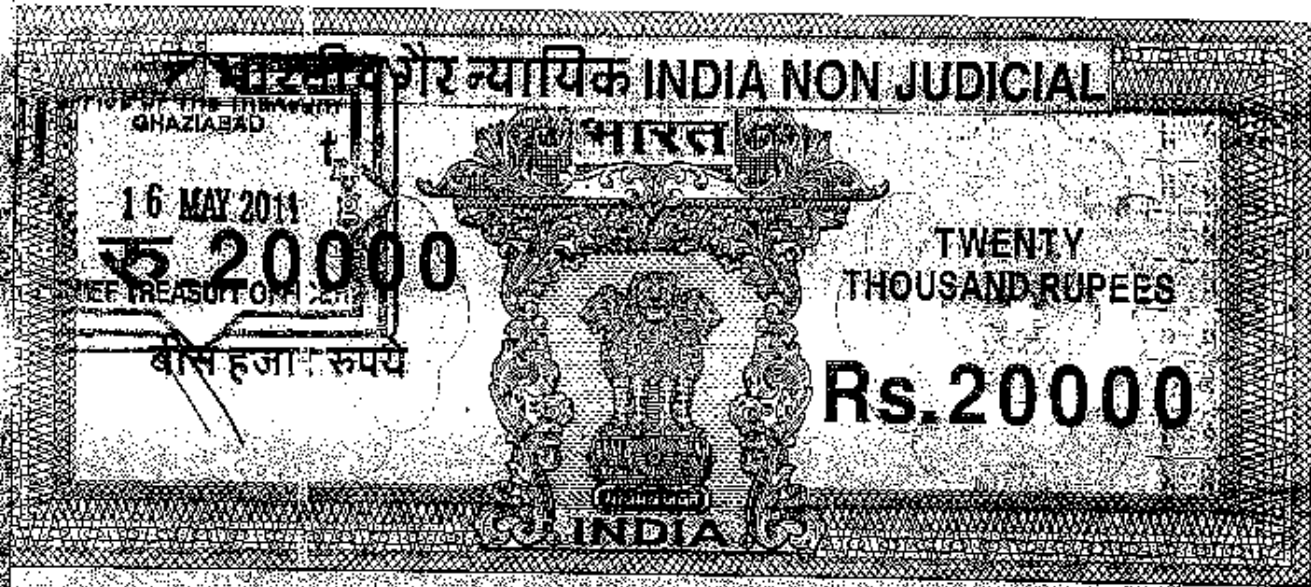
पिता का नाम : स्व० श्री नाहर सिंह

स्वाई पता : 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110082

डी. एल. नं० : DL-1320010012754

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823745

(4)

विक्रय-पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 22,94,148/- रुपये ।

स्टाम्प पेपर अंकन : 2,88,800/- रुपये ।

विवरण विक्रय भूमि :- कृषि भूमि खाता संख्या 00889 क खसरा संख्या 2371 कुल रकबा 0.4170 हेक्टेयर में से 1/2 भाग रकबाई 0.2085 हेक्टेयर अनुसार खेतीनी वर्ष 1412-1417 फसली जो विक्रय की जा रही है, ग्राम साहपुर बम्हेटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है।

[Handwritten Signature]

For Agewal/00000 (11/01/11) and

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY
GRANAPUR

रु. 20000

CHIEF TREASURY OFFICES
मुख्य भूमि रुपये

भारत

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823744

(5)

विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 80,00,000/- रुपये एकड़ यानि 1,97,69,077.40/- रुपये प्रति हेक्टेयर से भूमि की मालियत अंकन 41,21,853/- रुपये लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से अंकन 22,94,148/- रुपये (बाइस लाख बीस हजार एक सौ अड़तालीस रुपये मात्र) में तय किया है स्टाम्प सरकारी दर पर ही नियमानुसार अदा किया गया है।

Boh

Signature



भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

GHAZIABAD

16 MAY 2011

₹ 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823743

(8)

मैसर्स लिजेन्ड बिल्डकौन प्रा० लि०, 17बी आसफ अली रोड, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री होराम सिंह निवासी-61 न्यू आर्य नगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद (रिजुलेशन दिनांक 07.05.2011) प्रथम पक्ष विक्रेता। (कम्पनी का पेन नंबर AABCL1128L)

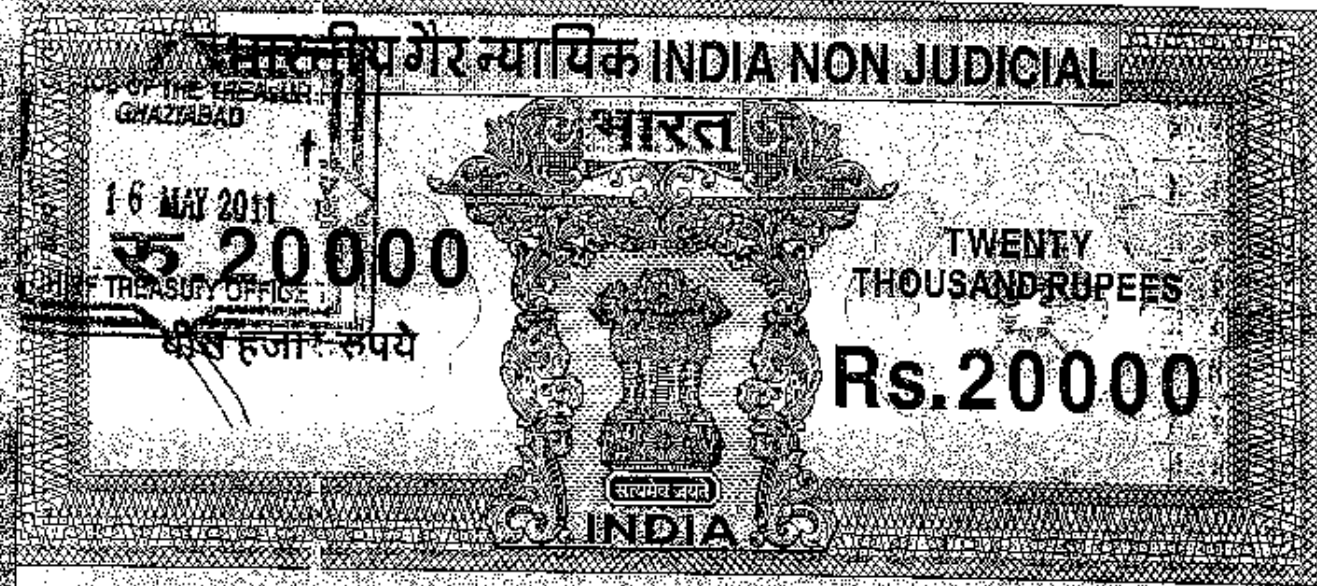
एव

मैसर्स अप्रदाज एसोसिएट्स (प्रमोडर्स) लि० पणजीकृत कार्यालय 10 न्यू राजधानी पश्चिम, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री प्रहलाद सिंह चौधरी पुत्र स्व० श्री नाहर सिंह, 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 (फरीक दोयम/क्रेता)। (कम्पनी का पेन नंबर AAACA2789D)

Handwritten signature

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

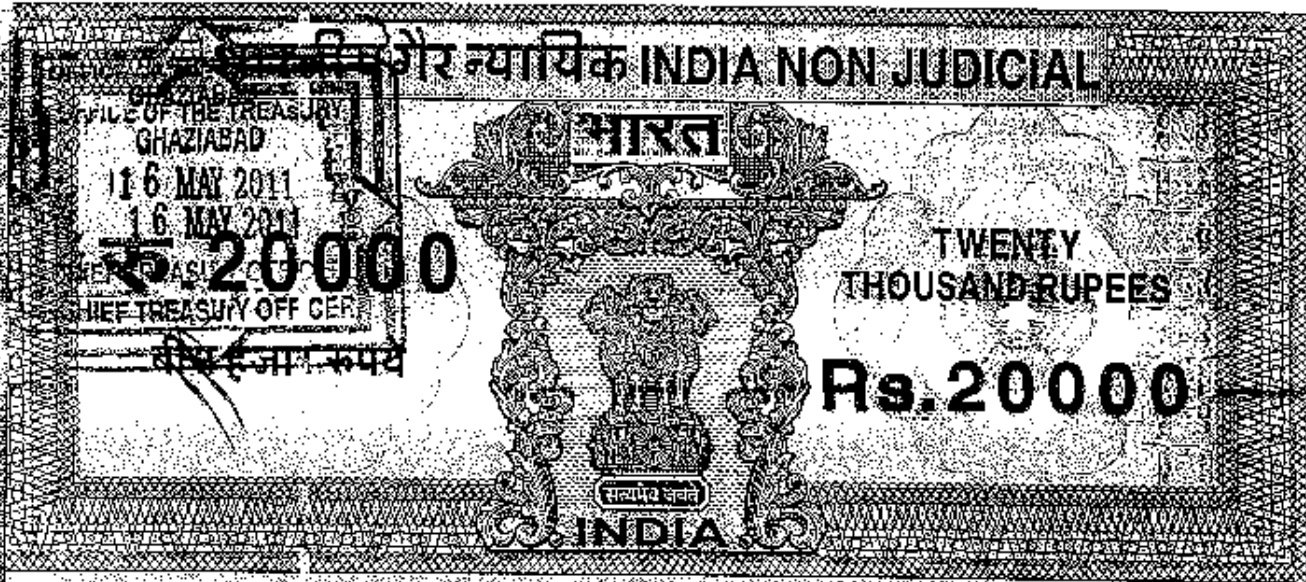
823742

(7)

- 1- विदित हो कि उपरोक्त वर्णित भूमि स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा को हम (कम्पनी उपरोक्त) प्रथम पक्ष/विक्रेता ने यह भूमि जगदीर पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी शाहपुर बम्हैटा, गाजियाबाद से बजरिये बैनामा संख्या 6019 दिनांक 21.09.2005 जिसकी जिल्द नंबर 6208 पृष्ठ संख्या 17-60, सबरजिस्ट्रार-प्रथम, गाजियाबाद पर अंकित है खरीदी है और तदनुसार वर्तमान मू-अभिलेखों में कम्पनी का नाम बतौर-संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है और उसी अनुसार हम मालिक व काबिज है और विक्रय अधिकारी है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823741

(8)

- 2- विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) हक सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है। यह भूमि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु क्रय की जा रही है जिसके लिये क्रेता के पास इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस भी है तथा स्टाम्प शासनादेश संख्या 2835/8-1-09-68 विविध/09 दिनांक 11.08.2009 जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिखे गये निर्णयानुसार तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 48/सी0आर0सी0/11 दिनांक 31.01.2011 के अनुसार स्टाम्प नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823740

(9)

- 3- विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुद्रा फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार से बन्धक, भार व सरकारी धनचारी आदि से मुक्त है। धरती अन्य जगह आड़ रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में प्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का डयूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का दिवाद-प्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो वर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है यानि हर प्रकार से सुरक्षित है।

[Handwritten signature]

Authorized Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

16 MAY 2011

भारत

RECEIPT FOR DEPOSIT
₹ 20000

TWENTY
THOUSAND RUPEES

बीस हजार रुपये

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823739

(10)

- 4- विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है। उपरोक्त वर्णित/उल्लेखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय-पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कहीं मोटरी द्वारा स्थापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके चारिसान होंगे।

[Signature]

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

CHAZIABAD

16 MAY 2011

₹ 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823738

(11)

- 5- यह कि हम विक्रेता (कम्पनी) को वास्ते तरक्की एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकारी मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी कांस्त भराई हर किस कच्चा गुण के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रील भूमि से प्राप्त थे उसरो कुछ बेचा हुआ नहीं रहा है आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशि अंकन 22,94,148/- रुपये (बाइस लाख तिसानवें हजार पांच सौरुपये मात्र) होते है के एवज में ब्रह्म फरीक दोयम क्रेता समरोपत मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि० पंजीकृत कार्यालय 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 द्वारा प्रहलाद सिंह चौधरी पुत्र स्व० श्री नाहर सिंह, 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

For (Sole Proprietor) Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD

16 MAY 2011

रु. 20000

CHIEF TREASURY OFFICER

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

823737

(12)

6. विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता को पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹5

15000

FIFTEEN

THOUSAND RUPEES

Rs.

15000

16 MAY 2011

पंद्रह हजार रुपये

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

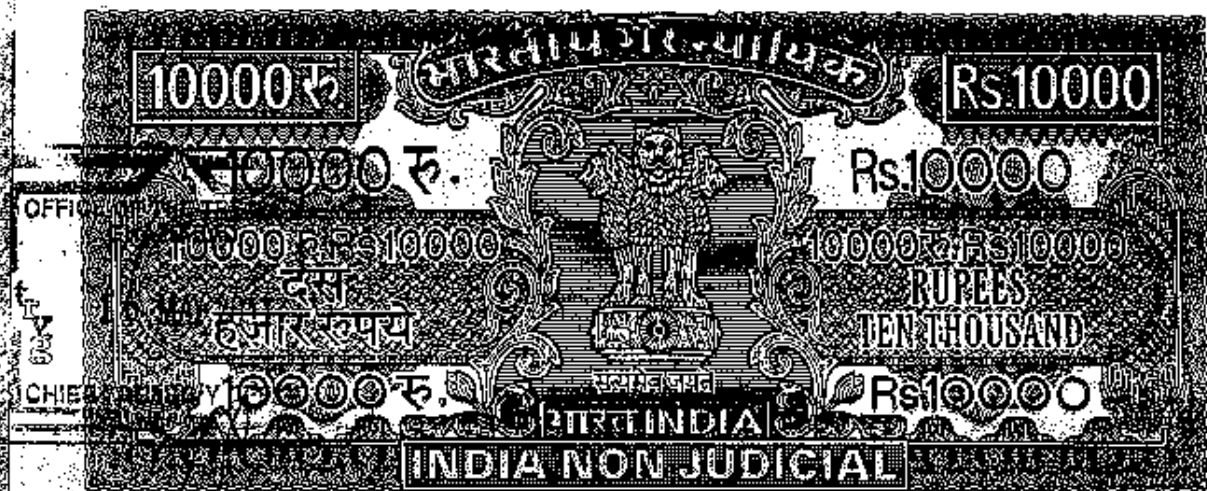
240309

(13)

7. विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज भालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर प्रथम पक्ष से करा सकते हैं. विक्रेता/प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मालिकियत, भूमि में निहित हित व उसको मूल्य घन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध नहीं रहा और न कभी रहेगा। तथा इस विक्रय के बाद भूमि से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ का अधिग्राही सिर्फ और सिर्फ क्रेता कम्पनी का होगा।

[Signature]

[Signature]
Authorized Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

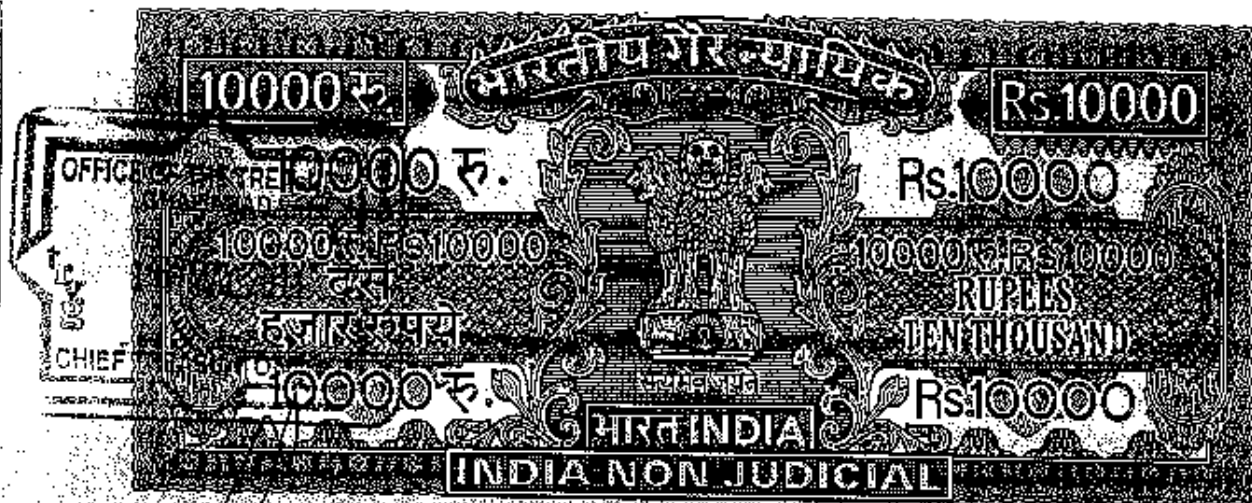
169885

(14)

४- विक्रीत भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष/विक्रेता की ओर कोई भार निकासी और निकला हुआ भार क्रेता या स्थापनापन को अपने पास से अदा कराया गया अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या विक्रेता के उत्तराधिकारियों की दावेदारी या किसी कानूनी चुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थापनापन के कब्जे मालकात्ता से निकल जाये तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर प्रथम पक्ष/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थापनापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Bof

16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

169884

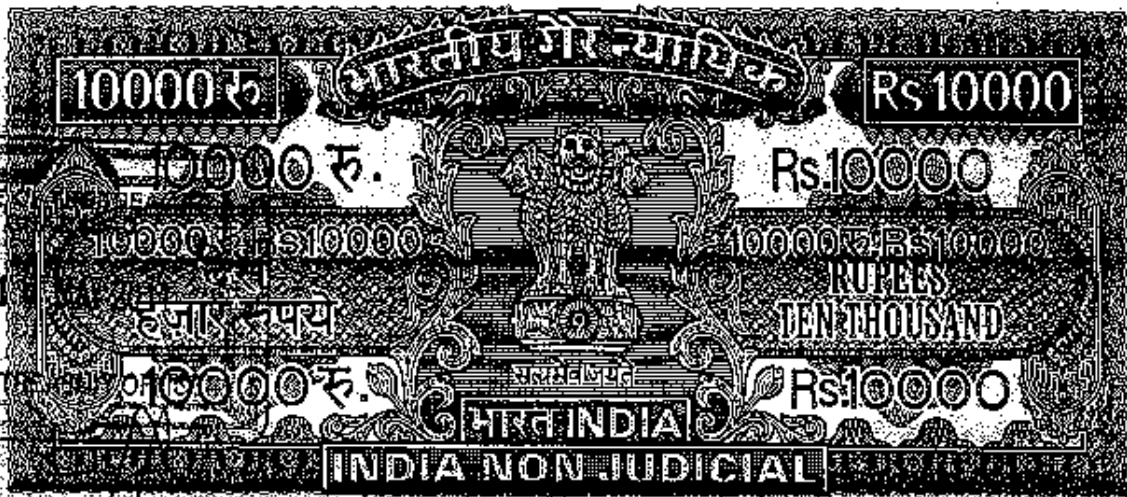
(15)

2. अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मालिकियत भूमि में निहित हित द उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

[Handwritten Signature]

For

[Handwritten Signature]
Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

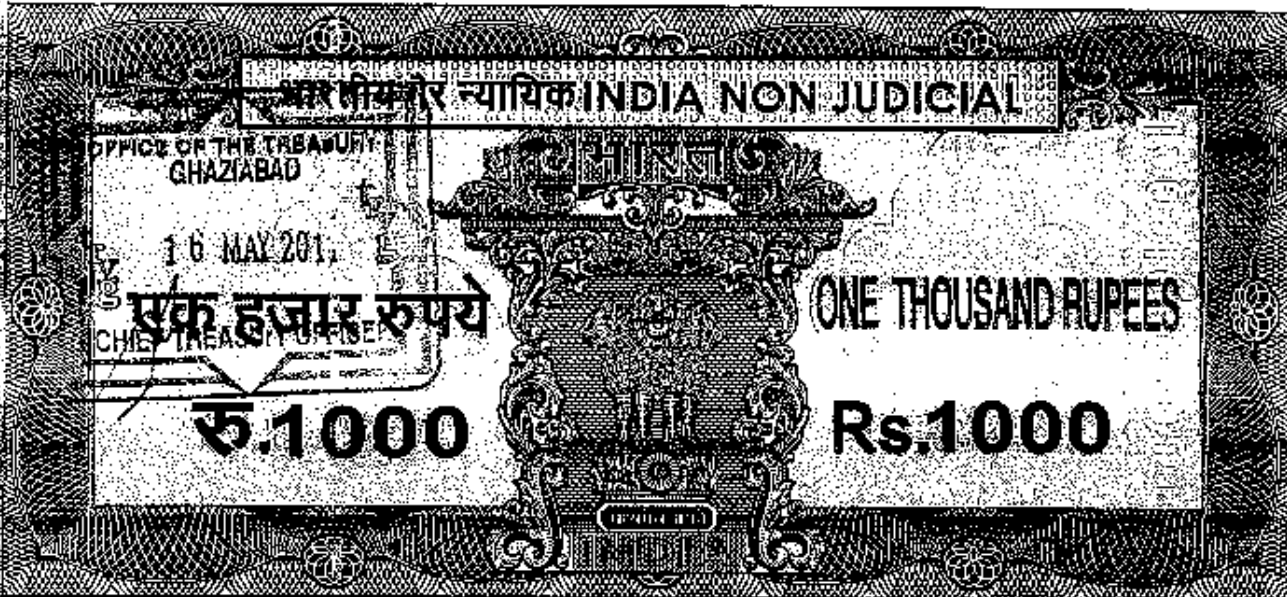
169883

(16)

10- विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232963

(17)

11. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

[Handwritten Signature]

For/...

16-5-11

Red Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232962

(18)

12. विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.2085 हेक्टेयर, खाता संख्या 00889 को खसरा संख्या 2371 स्थित ग्राम शाहपुर बन्हेटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशि प्राप्त कर ली है।

[Handwritten signature]

For

Signature

Signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD

एक हजार रुपये

CHIEF TREASURY OFFICER

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

शान्तिमय जगत्

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232961

(19)

13-अंकन 11,47,074/- रुपये (ग्यारह लाख सैंतालीस हजार चौहत्तर रुपये मात्र)
द्वारा चेक नंबर 810782 दिनांक 10.05.2011 व अंकन 11,47,074/- रुपये
(ग्यारह लाख सैंतालीस हजार चौहत्तर रुपये मात्र) द्वारा चेक नंबर 810786

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 407416

(20)

दिनांक 30.08.2011 इंडियन ओवरसीज बैंक प्रीत विहार शाखा, दिल्ली द्वारा फरीक
अव्यय द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये हैं इस प्रकार कुल कीमत

[Handwritten Signature]

Filed

Authorized Signatory

[Handwritten Signature]
INGE
Advocate

[Handwritten Signature]
Civil

[Handwritten Signature]

2000-2001

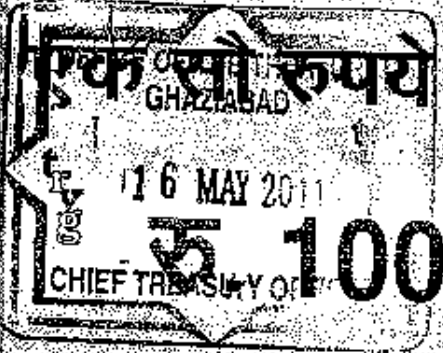
15-16

111

Rest

2000-2001
15-16
111
112

भारतीय गैर न्यायिक



सत्यमेव जयते

Rs. 100
ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 779868

(21)

अंकन 22,94,148/- रुपये (बाइस लाख चौरानवै हजार एक सौ अड़तालीस रुपये मात्र)
प्राप्त कर लिये हैं कुछ बाकी नहीं रहा है।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

Divyanshu Singh

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दीयन (क्रेता)

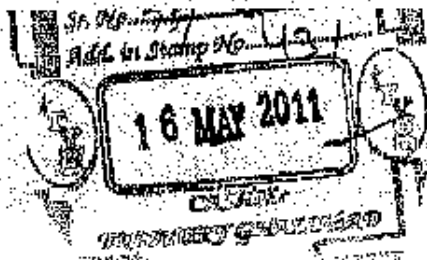
गवाह नंबर - 1 Divyanshu Singh, S/o Shri Janki Prakash
10, New Rajdani Enclave Vikas marg Delhi-92 19177

DL

गवाह नंबर - 2 Divyanshu Singh, S/o Shri Janki Prakash
R/o K-10-11B, Nya Kharabnagar Jaitpur-92 19170

तहरीरी दिनांक : 16-05-2011 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

TEJENDRA SINGH
Advocate
Ghaziabad, Ghaziabad.



आज दिनांक 16/05/2011 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 8893
पृष्ठ सं. 41 से 84 पर क्रमांक 2919
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

M. M. H. P.
प्रभारी

उप निबन्धक प्रथम
गाजियाबाद
16/5/2011

